अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र

Andaman And Nicobar Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 109, पोर्ट ब्लेयर, मंगलवार, 28 जून, 2016

No. 109, Port Blair, Tuesday, June 28, 2016

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
प्रदूषण नियंत्रण समिति
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
डॉलीगंज, पोर्ट ब्लेयर, दूरभाष सं. 250370 फैक्स सं. 251395

<u>अधिसूचना</u>

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 28 जून, 2016

सं. 106/2016/फा.सं. 2–1/प्र.नि.स./प्लास्टिक/2004.— दिनांक 17.08.2000 की गजट अधिसूचना सं. 300 का अधिक्रमण करते हुए अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने प्लास्टिक, काँच और ई–वेस्ट को मुख्यभूमि में परिवहन करने हेतु एक स्कीम तैयार किया है । इस स्कीम के तहत् सभी प्रकार के प्लास्टिक, काँच और ई–वेस्ट को विभिन्न द्वीपों से पोर्ट ब्लेयर और पोर्ट ब्लेयर से मुख्यभूमि पत्तन (चेन्नई/विशाखापत्तनम तथा कोलकाता) में परिवहन के लिए माल भाड़ा से छूट प्रदान की जाएगी ।

1. <u>स्कीम का नाम</u> : इस स्कीम को "अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह प्लास्टिक, काँच और ई–वेस्ट के परिवहन के लिए माल भाड़े में छूट हेतु स्कीम", कहा जा सकेगा ।

2. <u>प्रारंभ तथा अवधि</u> : यह स्कीम प्रारंभ में अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र में इसके अधिसूचित होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा और प्रशासक की मंजूरी से इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है ।

3. <u>परिभाषाएँ</u> :

   i) **"सक्षम प्राधिकारी"** से अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन का प्रधान सचिव अथवा सचिव, प्रभारी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अभिप्रेत है ।

   ii) **"माल भाड़ा"** से अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा प्लास्टिक, काँच और ई–वेस्ट अपशिष्टों का जहाज द्वारा मूल पत्तन से गंतव्य पत्तन तक परिवहन में होने वाला व्यय अभिप्रेत है लेकिन इसमें घाट भाड़ा, नौका प्रभार, प्रबन्ध व्यवस्था, माल चढ़ाने और माल उतारने का प्रभार आदि, जो जहाज/सतही परिवहन से संबंधित है, इसमें शामिल नहीं है ।

   iii) **"प्लास्टिक अपशिष्ट"** से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम 3 (क्यू) के तहत् परिभाषित अपशिष्ट अभिप्रेत है ।

iv) **''काँच अपशिष्ट''** से मुख्यभूमि में पुनश्चक्र/सुरक्षित निपटान होने वाले सभी प्रकार के काँच अपशिष्ट अभिप्रेत है ।

v) **''ई–वेस्ट''** से ई–वेस्ट (प्रबंध एवं निपटान) नियमावली, 2016 के नियम 3 (आर), 3 (वाई), 3 (ए ए), 3 (बी बी) के तहत परिभाषित अनुसार अभिप्रेत है ।

vi) **''पंजीकरण''** से विभिन्न द्वीपों से प्लास्टिक, काँच और ई–वेस्ट के पोर्ट ब्लेयर में परिवहन और कतरन/ठोस/पेलिटाइस्ड प्लास्टिक, काँच और ई–वेस्ट के मुख्यभूमि पत्तन (चेन्नई/विशाखापत्तनम तथा कोलकाता) में परिवहन के लिए उद्यम/व्यक्ति द्वारा जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त पंजीकरण अभिप्रेत है ।

vii) **''डी.एस.एस. जहाज''** से अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के नौवहन सेवा निदेशालय, द्वारा चलाए जा रहे जहाज अभिप्रेत है ।

4. **उपयुक्तता तथा पात्रता :** सभी प्रकार के प्लास्टिक, काँच और ई–वेस्ट, जिसे पुनश्चक्र/सुरक्षित निपटान हेतु मुख्यभूमि भेजने का निर्णय लिया गया है, के परिवहन में शामिल उद्यम/व्यक्ति इस स्कीम के तहत् छूट पाने के हकदार हैं बशर्ते कि वे जिला उद्योग केन्द्र में पंजीकरण और सक्षम प्राधिकरी, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन से प्राधिकरण प्राप्त कर लिए हों ।

5. **शर्तें :**

i) नौवहन सेवा निदेशालय के जहाज में खाली पात्र/माल स्थल उपलब्ध होने के आधार पर ही जहाज में प्लास्टिक, काँच और ई–वेस्ट के परिवहन के लिए मालभाड़े में छूट प्रदान की जाएगी ।

ii) माल भाड़े में छूट विभिन्न द्वीपों से पोर्ट ब्लेयर/मुख्यभूमि पत्तन और पोर्ट ब्लेयर से मुख्यभूमि पत्तन (चेन्नई/विशाखापत्तनम तथा कोलकाता) तक सीमित होगा । प्लास्टिक, काँच और ई–वेस्ट के कतरन, पेलिटाइस्ड अथवा ठोस रूप में पोर्ट ब्लेयर से मुख्यभूमि में परिवहन किया जाएगा ।

iii) इस स्कीम के तहत नौवहन निदेशालय के जहाज में माल भाड़े में छूट के अलावा प्लास्टिक, काँच और ई–वेस्ट को एकत्र करने के लिए सतही परिवहन प्रभार और जहाज तथा पुनश्चक्र यूनिट (एकक) तक पहुँचाने का प्रभार देय नहीं होगा ।

iv) इस स्कीम के तहत प्लास्टिक, काँच और ई–वेस्ट परिवहन के इच्छुक उद्यम/व्यक्ति को मुख्यभूमि भेजे गए प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा विवरणिका/रजिस्टर का रख–रखाव करना होगा और जिला उद्योग केन्द्र/प्रदूषण नियंत्रण समिति के अधिकारियों को यूनिट/रिकार्डों की जाँच हेतु अनुमति देनी होगी। उद्यम/व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी को तिमाही रिपोर्ट भी प्रस्तुत करना होगा ।

v) पत्तन प्रभार और अन्य आनुषंगिक प्रभार जैसे सामानों को उठाना और उसे द्वीपसमूह के पत्तनों और मुख्यभमि के पत्तनों में भेजने का दायित्व उद्यम/व्यक्ति का होगा और प्रेषण पत्तन और आगमन पत्तन में विभिन्न प्राधिकारियों से अनापत्ति प्राप्त करने का दायित्व भी उद्यम/व्यक्ति का होगा ।

vi) पत्तन/जहाज से माल हटाने में विलम्ब होने पर इसके व्यय की जिम्मेदारी उद्यम/व्यक्ति की होगी ।

vii) यदि तकनीकी कारणों से अथवा उत्पन्न परिस्थिति के कारण परिवहन हेतु माल की अनुमत मात्रा का लदान नहीं हो सका, उद्यम/व्यक्ति को घाट प्रभार, नौ प्रभार, प्रबंधन प्रभार, माल लदान और माल उतराई आदि का प्रभार वहन करना होगा ।

viii) प्लास्टिक, काँच और ई–वेस्ट अपशिष्ट का वहन भार विभाजन माल के रूप में किया जाएगा और पात्रों में माल भरने और खाली करने और उसके प्रबन्धन प्रभार का दायित्व उद्यम/व्यक्ति की जिम्मेदारी पर होगा ।

ix) उद्यम/व्यक्ति द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट के परिवहन में किसी प्रकार की हानि, टूट–फूट आदि के लिए नौवहन सेवा निदेशालय जिम्मेदार नहीं होगा ।

6. **प्लास्टिक, काँच और ई–वेस्ट को भेजने की प्रक्रिया :**

i) इस स्कीम के तहत् जो उद्यम/व्यक्ति भाड़ा से छूट प्राप्त करने के इच्छुक है, उन्हें जिला उद्योग केन्द्र/उद्योग आधार, पोर्ट ब्लेयर से पंजीकरण प्राप्त करना होगा ।

ii) पंजीकरण प्राप्त करने के बाद उद्यम/व्यक्ति को नौवहन सेवा निदेशालय के जहाजों द्वारा प्लास्टिक, काँच और ई–वेस्ट के परिवहन के लिए प्राधिकार प्रदान करने और पात्र के आबंटन के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करना होगा ।

iii) प्राधिकरण प्राप्त करने के बाद उद्यम/व्यक्ति को प्लास्टिक, काँच और ई–वेस्ट के परिवहन के लिए निदेशक, नौवहन सेवा निदेशालय को आवेदन करना होगा ।

iv) निदेशक, नौवहन सेवाएँ केवल उन्हीं उद्यम/व्यक्ति को अनुमति प्रदान करेगा जो प्लास्टिक, काँच और ई–वेस्ट के परिवहन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किए हो ।

v) निदेशक, नौवहन सेवाएँ यह सुनिश्चित करेगा कि उद्यम/व्यक्ति सिर्फ प्लास्टिक, काँच और ई–वेस्ट का ही परिवहन करता है । निदेशक, नौवहन सेवाएँ संबंधित उद्यम/व्यक्ति से इस आशय का एक वचनबंध प्राप्त करेगा ।

7. **माल भाड़ा/प्रभार से छूट वापस लेना :**

सक्षम प्राधिकारी उद्यम/व्यक्ति पैरा 5 में उल्लिखित किसी शर्त को पूरा न करने पर स्कीम के तहत मंजूर छूट को वापस ले सकता है ।

8. **निर्वचन की शक्ति :**

इस स्कीम के तहत किसी शर्त के निर्वचन का अधिकार अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी के पास निहित है ।

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ह./–
(डी.एम. शुक्ला)
सचिव (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
POLLUTION CONTROL COMMITTEE
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Dolly Gunj, Port Blair, Ph. No. 250370 Tel. Fax 251395

NOTIFICATION

Port Blair, dated the 28th June, 2016.

No.106/2016/F.No.2-1/PCC/Plastic/2004.— In supersession of A & N Gazette Notification No. 300, dated 17.08.2000, the Andaman and Nicobar Administration is pleased to frame a Scheme for transportation of Plastic, Glass and E-waste to mainland. Under this scheme freight charges shall be exempted for transportation of all sorts of Plastic, Glass and E-waste from various Islands to Port Blair and Port Blair to Mainland Port (Chennai, Vishakhapatnam & Kolkata).

1. **Name & Title of the Scheme :**

This scheme may be called the "Andaman and Nicobar Islands Scheme for Exemption of Freight Charges for Transportation of Plastic, Glass & E-wastes".

2. **Commencement & Duration :**

The scheme shall come into force with effect from the date of its Notification in the A & N Gazette and remain in operation initially for a period of three years, to be extended further with the approval of the Administrator.

3. **Definitions :**

I. **"Competent Authority"** means Principal Secretary or the Secretary in-charge of Department of Science & Technology, A & N Administration.

II. **"Freight Charges"** means the expenditure incurred for transportation of Plastic, Glass and E-wastes by Ships run by Andaman and Nicobar Administration from origination port to destination port but shall not include the wharfage charges, barge charges, handling charges, loading and unloading charges etc. which are connected with transportation by ship/surface transport.

III. **"Plastic Waste"** means the waste defined under rule 3(q) of the Plastic Waste Management Rules, 2016.

IV. **"Glass Waste"** means all kinds of glass waste meant for recycling/safe disposal in mainland.

V. **"E-waste"** means the waste defined under rule 3(r), 3(y), 3(aa) and 3(bb) of E-Waste (Management and Handling) Rules, 2016.

VI. **"Registration"** means the registration obtained by an Enterprise/Individual' from District Industries Centre for transportation of Plastic, Glass and E-waste from various Islands to Port Blair and shredded/compacted/pelletised Plastic, Glass and E-waste from Port Blair to Mainland Port (Chennai, Vishakhapatnam & Kolkata).

VII. **"DSS Ships"** means Ships run by Directorate of Shipping Services, Andaman and Nicobar Administration.

4. Applicability/Eligibility :

The Enterprises/Individuals involved in the transportation of all kinds of Plastic, Glass and E-wastes which are meant for recycling/safe disposal in mainland shall be eligible for freight exemption under this scheme provided they have obtained registration from District Industries Centre and authorization from Competent Authority, A & N Administration.

5. Terms & Conditions :

I. Exemption for freight charges for transportation of Plastic, Glass and E-wastes by DSS Ships shall be available subject to availability of empty containers/cargo space in the ships.

II. The exemption of freight charges shall be restricted between various Islands to Port Blair/Mainland Port and from Port Blair to Mainland Port (Chennai, Vishakhapatnam & Kolkata). Plastic, Glass and E-wastes shall be transported in shredded/pelletised or compacted forms from Port Blair to Mainland.

III. Other than exemption of freight charges in a DSS Ship, no other charges including surface transport charges for collection and transportation of Plastic, Glass and E-wastes upto the ship/recycling units shall be payable under this scheme.

IV. The Enterprises/Individual interested in Plastic, Glass and E-wastes transportation under this scheme shall maintain register/documents for making entries of quantity of Plastic, Glass and E-wastes transported to the mainland and shall permit officials of District Industries Centre/Pollution Control Committee for inspection of the unit/records. The enterprise/ individual shall also submit quarterly report to Competent Authority.

V. The Port dues and other incidental charges such as clearing and forwarding in Island Ports and Mainland Ports shall be borne by the enterprise/individual & the documentation, obtaining clearance from various authorities in dispatch port and arrival port shall be responsibility of the enterprise/individual.

VI. In case of any demurrage towards non-clearance of cargo from the port/vessel, expenditure shall be borne by the enterprise/individual.

VII. In case the permitted quantity of cargo is not loaded for transportation due to technical reasons or in forced circumstances the enterprise/individual shall bear the wharfage charges, barge charges, handling charges, loading and unloading charges etc. as applicable.

VIII. The Plastic, Glass and E-wastes may be carried as break bulk cargo and the charges for stuffing / de-stuffing and container handling shall be borne by the enterprise/individual.

IX. The DSS shall not be responsible in case of loss, damage etc. suffered by the enterprise/ individual towards transportation of Plastic, Glass and E-wastes.

6. Procedure for Sending Plastic, Glass and E-Wastes :

I. Enterprise/Individual intending to avail freight exemption under this scheme shall obtain registration from District Industries Centre/Udyog Adhar, Port Blair.

II. After obtaining registration, the enterprise/individual shall make an application to the competent authority for allotment of container & to authorize for transportation of Plastic, Glass and E-wastes by DSS Ships.

III. After obtaining authorization, the enterprise/individual shall apply to the Director, Shipping Services for transportation of Plastic, Glass and E-wastes.

IV. The Director, Shipping Services shall permit only those enterprise/individual to transport the Plastic, Glass and E- wastes who are authorized by the competent authority.

V. The Director, Shipping Services shall ensure that the enterprise/individual transports only the Plastic, Glass and E-wastes under this scheme and also obtain an undertaking to that effect from the enterprise/individual concerned.

7. **Revocation of exemption of Freight/Charges :**

The Competent Authority may revoke the exemption granted from payment of freight charges under the scheme in case of non fulfillment of any of clauses mentioned at Para 5 by the enterprise/individual.

8. **Power of Interpretation :**

The power of interpretation of any clause under the scheme shall vest with the Competent Authority of A & N Administration.

By order and in the name of the Lieutenant Governor,

Sd./-
(D.M. Shukla)
Secretary (Science & Technology)

MGPPB—109/Gazette/2016— 165 Copies. (ES-HCL-X)

अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र

Andaman And Nicobar Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 223, पोर्ट ब्लेयर, शुक्रवार, 30 अगस्त, 2019

No. 223, Port Blair, Friday, August 30, 2019

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION

प्रदूषण नियंत्रण समिति

POLLUTION CONTROL COMMITTEE

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

NOTIFICATION

Port Blair, dated the 30th August, 2019.

No. 220/2019/F.No. 2-1/PCC/Plastic/2004.— The Lt. Governor, Andaman and Nicobar Administration is please to extend the duration of the scheme titled **"Andaman and Nicobar Islands Scheme for exemption of Freight Charges for Transportation of Plastic, Glass and E- Waste"** notified vide A & N Gazette No. 109 dated 28-06-2016 for a period of 2 years and the scheme shall remain in operation upto 31st August, 2021.

All other provisions and terms & conditions mentioned in the Andaman and Nicobar Gazette Notification No. 109 dated 28-06-2016 will remain the same and applicable while implementing the scheme.

By order and in the name of the Lieutenant Governor,
Andaman & Nicobar Islands.

Sd./-
(Nitika Pawar)
Secretary (Science and Technology)

MGPPB—223/Gazette/2019— 65 Copies. (DR-HCL-X)